आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रसाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
02.01.14	**न्यायालय आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा।** **आदेश** श्री ध्रुव मिश्रा, सहायक, प्रखण्ड कार्यालय, थावे ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 न0 4159/2013 में दिनांक 12.03.13 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिनांक 03.08.12 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0डब्लू0जे0सी0 न0 4159/2013 में निम्नांकित आदेश दिया:– "It is however made clear that this order will not stand in the way of the petitioner of file an appeal against the impugned order of punishment passed by the Collector of the district and in case the petitioner files an appeal within a period of one month from today, the same shall be disposed of on merit by the Commissioner of the Division by speaking order and without non-suiting the petitioner on the ground of dealy/laches, if any." तद्परांत श्री ध्रुव मिश्रा ने अपना अपील आवेदन दाखिल किया गया है, जिसका अवलोकन किया गया। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन में निम्नांकित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है– 1. संचालन पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज) ने अपने जांच प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया। श्री मिश्रा को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की थी। 2. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने जांच प्रतिवेदन से बिना असहमति का कोई कारण दिखाए उन्हें दंडित करने का निर्णय ले लिया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 न0 2276/2012 में पारित दिनांक 06.03.12 के आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया। 3. अपीलकर्त्ता ने अपनी सेवा निष्ठापूर्वक की है तथा तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया ने जानबूझ कर प्रताड़ित कर रहे है। 4. उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों से प्रतीत होगा कि वे परिश्रमी एवं अनुशासनिक पदाधिकारी है। ——2——	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख		कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 न0 2276/2012 में दिनांक 06.03.12 को उनके द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकार के दण्डादेश (19.12.2011) को निरस्त कर दिया और मामले को पुनः अनुशासनिक प्राधिकार को रिमाण्ड कर दिया तथा यह निदेश भी दिया कि वे यदि चाहे तो नियमित द्वितीय कारणपृच्छा निर्गत कर विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते है।

जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश सं0 447 दिनांक 24.4.12 के द्वारा श्री ध्रुव मिश्रा से द्वितीय कारणपृच्छा की, जिसमें उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन तथा उनकी बिन्दुवार विवेचना सम्मिलित है। अनुशासनिक प्राधिकार (जिला पदाधिकारी, गोपालगंज) के द्वारा निर्गत द्वितीय कारणपृच्छा का अवलोकन किया गया।

अपीलकर्त्ता श्री ध्रुव मिश्रा ने अपना स्पष्टीकरण 18.7.12 को समर्पित किया। द्वितीय कारणपृच्छा में अपीलकर्त्ता के उत्तर का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपने उत्तर में मुख्यतः इस बात का उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी ने उन्हें निर्दोष पाया है और किसी अन्य महत्वपूर्ण बचाव तथ्य की चर्चा नहीं है।

अपीलकर्त्ता श्री ध्रुव मिश्रा द्वारा दाखिल द्वितीय कारणपृच्छा के अवलोकनोपरांत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने आदेश सं0 100/12 दिनांक 01.08.12 के द्वारा आदेश पारित किया, जिसका अवलोकन किया गया। जिला पदाधिकारी ने दिनांक 01.08.12 के अपने आदेश में श्री मिश्रा के विरूद्ध लगाए गए आरोपों एवं उनके जवाब की सांगोपांग समीक्षा कर अपना मंतव्य गठित किया और मंतव्य गठित करने के बाद उन्हें एक वेतन वृद्धि का दण्ड दिया तथा यह भी आदेश दिया कि निलंबन अवधि में जीवन–यापन भत्ता के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी देय नहीं होगा।

सभी तथ्यों के अवलोकन एवं अपीलकर्त्ता को सुनने के पश्चात् यह विदित होता है कि जिला पदाधिकारी ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की है और दण्ड दिए जाने का जो आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है, वह द्वितीय कारणपृच्छा में अंकित बिन्दुओं, उस पर अपीलकर्त्ता का उत्तर तथा अन्य सभी तथ्यों की समीक्षा के पश्चात् ही दिया गया है।

——3——

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	——3—— अपीलकर्त्ता के नियंत्री पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया थे। अपीलकर्त्ता से सरकारी सेवक के नाते यह अपेक्षा थी कि वे अपने नियंत्री पदाधिकारी से ससमय अवकाश की स्वीकृति प्राप्त कर या कार्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ते परन्तु कई दृष्टांतों में ऐसा पाया गया है कि अपीलकर्त्ता अपने कार्य से या तो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे या फिर अवकाश से अनुपस्थित रहने के पश्चात् पत्र आदि के माध्यम से अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित किया, जो उचित नहीं है। उदाहरणस्वरूप अपीलकर्त्ता ने 11.08.08 को पत्र के माध्यम से अवकाश का आवेदन भेजा और प्रभार ग्रहण करने का आदेश होने के बावजूद भी कुछ दस्तावेजों का प्रभार लिया और कुछ का प्रभार नहीं लिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की सूची सी0डी0 के माध्यम से दिनांक 15.05.09 के पूर्व भेजी जानी थी, परन्तु अपीलकर्त्ता ने ऐसा न कर उपरोक्त सी0डी0 15.05.09 के पत्र के माध्यम से भेजा। यह तथ्य उनके स्वयं के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। प्रखण्ड का प्रधान सहायक होते हुए भी प्रखण्ड में के0सी0सी0 कैम्प जैसे महत्वपूर्ण घटना की जानकारी नहीं होना यह अपने आप में चिन्ता का विषय है और इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अपीलकर्त्ता या तो कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं या अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं। अपीलकर्त्ता के अपने ही स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि अवकाश में जाने के लिए वे प्रखण्ड के नाजीर से कहकर प्रस्थान कर जाते हैं या फिर बिना अवकाश की पूर्वानुमति लिए अपनी बीमारी का बहाना कर कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण प्रखण्ड के सामाजिक सुरक्षा, विकलांगता शिविर एवं अन्य कार्य कुप्रभावित हुए। सभी तथ्यों के अवलोकनोपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अपीलकर्त्ता को दण्ड देने का आदेश पारित किया है और उसमें किसी परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है। 2/1/14 आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा। 2/1/14 आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा।	